संख्या-1561/11-3-15-119/15

प्रेषक,

प्रभु शंकर
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 25 अगस्त,2015

विषयः- श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, अपर सांख्यिकीय अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय को स्वीट्जरलैण्ड अथवा थाईलैण्ड की यात्रा हेतु पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स्था-1-पी0एफ0-अश्वनी कुमार श्रीवास्त अ0सां0अधि0/2015-16/139/वाणिज्य कर, दिनांक 09-06-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आपके उक्त पत्र द्वारा दी गयी आख्या/संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, अपर सांख्यिकीय अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय को विदेश यात्रा हेतु पासपोर्ट बनवाने की अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करेंगे।

भवदीय

प्रभु शंकर
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।